

न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 जिला ग्वालियर

~~PBA/किरानी/भू.स/2017/3751~~

प्रकरण क्रमांक / 2017 -18 रिवीजन

PBA/किरानी/ग्वालियर/भू.स/2017/3751

1. हरीसिंह पुत्र श्री सोबरन सिंह , उम्र- 54 वर्ष
2. गबलाबाई उर्फ ममता बाई, पत्नी श्री सोबरन सिंह , आयु- 82 वर्ष
3. रघुवीर सिंह पुत्र श्री सोबरन सिंह , उम्र-65 वर्ष
4. शिवचरन सिंह पुत्र श्री सोबरन सिंह , उम्र- 44 वर्ष
5. कैलाशी सिंह पुत्री सोबरन सिंह , उम्र- 66 वर्ष
6. श्रीमती शारदा पतनी श्री वृन्दावन , उम्र- 47 वर्ष, समस्त निवासीगण- ग्राम बरेठा परगना व जिला ग्वालियर म0प्र0

.....आवेदकगण

बनाम

बालाजी एग्रो फर्म प्राइवेट लिमिटेड द्वारा राहुल भार्गव कार्यालय बी-1 गोरार्ड कॉम्प्लेक्स फालका बाजार लशकर, ग्वालियर म0प्र0

.....अनावेदक

रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तहसील व जिला ग्वालियर प्रकरण क्र.

56/2017-18 अपील माल हरीसिंह आदि बनाम बालाजी एग्रो फर्म में आवेदक द्वारा प्रस्तुत स्थगन आवेदन पत्र दिनांक 08.09.2017 के आदेश द्वारा निरस्त किया।

आवेदक ने आदेश दिनांक 08.09.2017 के विरुद्ध प्रथम रिवीजन प्रस्तुत की है आवेदक ने आदेश दिनांक 16.09.16 के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में न तो रिवीजन प्रस्तुत की है और न हीं खारिज हुई है।

आवेदकगण की ओर से रिवीजन निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

10.10.2017

आवेदन की अंतर्गत
श्री उमेश कुमार बोहरा आभिवाचक
उपस्थित। उपस्थित एवं स्थान
पर (युना गया। उस प्रकार में
केवल स्थान का बिन्दु विचारणीय
है। अतः आगामी तीन माह
तक उभय पक्ष प्रस्तावित शर्तों
का पुराना विक्रय नहीं करेंगे,
उस निर्देश के साथ प्रकरण
समाप्त किया जाता है।

[Signature]

[Signature]
अध्यक्ष

[Signature]
10/10/17